अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ (एहरा) यूनिट देवरिया ने किया जहरीली शराब काण्ड ग्राम–रतनपुर, का दौरा

कब जागेगा प्रशासन हुई जहरीली शराब से 6 व्यक्तियों की मौत

पुलिस के संरक्षण में चलता अबैध शराब का कारोबार

देवरिया गौरीबाजर, थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर व करजहीं में दिनांक 08.10.2010 को अपरान्ह 2 बजे अखिल भारती मानवाधिकार का एक प्रतिनिधि ने दौरा किया प्रतिनिधि मंडल ने शासन प्रशासन से उपेक्षित परिवारों से लिकर उनका हाल जाना संघ के जिला प्रमुख उमेश कुमार के नेतृत्व में पीडित परिवारों मिला श्री पासवान ने बताया की प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरीबाजर, थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर व करजहीं में दिनांक 29 सितम्बर 2010 की रात चुनावी दाव में प्रधान पद के प्रत्यासी रामनिहोरा सिंह के घर दावत में शराब परोसी गयी जिसमें ग्राम के पाँच दर्जन से अधिक लोग जुटे देर रात तक जहरीली शराब का दौर चलता रहा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी गौरी बाजार की पुलिस को इसकी भनक नही लगी या पुलिस जाँन बुझकर अनजान बनी रही और मानवाधिकार एवं आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई गयी। जहरीली शराब से असमय काल के गाल में समाये परिवार के लोग भूखमरी के कगार पर है। शासन –प्रशासन इनही सुधि लेने को तैयार नही दिखता। शोकाकुल परिवार दहशत में जिवन यापन कर रहे है मौत के शिकार हुए परिजनों में बेवा रंजना श्रीवास्तव को अपने बच्चो को लेकर फिक्र मंद है। द्रोवदी जो स्वयं विकलांग है। उनके पति जहरीली शराब में मृत्यु हो चुकी है। जो अपने चार नाबालिक बच्चों के पालन–पोषण को लेकर चिंतित है, इसी प्रकाश मृत्क के भाई रामध्यान प्रसाद, गेना देवी, जैतून निशा ने भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चितित है। अनकी मांली हालत बहुत ही दैनिय है। गौर तलब हैं कि बेवा किताबी देवी के पति के मृत्यु के बाद बुरी हालत है। इनका देवर भी जहरीली शराब से अपनी आँखों की रोशन गवा चूका है। किताबी के घर में एक वक्त का भोजन तक की ब्यवस्था नही है। इनके 4 अबोध छोटे–2 बालक है इनके भोजन की व्यवस्था कराना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह मेडिकल कालेज में भर्ती अन्य तीन गरीब व्यक्ति गरीबी एवं मौत से जूझ रहे है। दवा भेजन आदि की भी व्यवस्था करना इनके लिए समस्या बन गया है इनके परिजन लक्षन, राजबसन्त, उर्मिला देवी ने बताया कि जहरीली शराब ने उनके आय के श्रोत की आँखें छिन लीं उन्होने बताया की अब हम गरीबी से जुझते हुए किस तरह दवा एवं बच्चों के खाने–पिने की व्यवस्था करें।

इस पर संघ के पमुख उमेश कुमार पासवान ने मांग की कि मृत्क के आश्रितों को अविलम्ब दो–दो लाख रू0 मुहैया कराया जाय तथा क्षतिग्रस्त अंगों से प्रभावित लोगों को एक–एक लाख रू0 सहायता उपलब्ध करायी जाय।

मंडलायुक्त के आदेश के वावजूद भी जनपद में अबैद्य शराब व नौसादर एवं यूरिया यूक्त ताड़ी बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धि लगाने के इन निदेशों का पालन पुलिस अधिक्षक एवं आबकारी अधिकारियों ने नही किया। जिसका परिणाम 6 गरीब परिवारो के बच्चे अनाथ हो गये। इसकी की सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी की है। जो इस पर समय रहते अंकुश नही लगा सका एवं राजस्व की भी भारी क्षती हुई– कृष्ण मुरारी सिंह

क्षेत्रिय लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार ने मौके पर जाकर पिडित व्यक्ति के परिजनां को कहा कि शराब पिने को कौन कहा था। ऐसे अखिकारी/कर्मचारी को तत्काल निलम्बित किया जाय एवं पिड़ित परिजनों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाय।–अनिल कुमार यादव जिला संगठन सचिव

इस दौरान बृजेश सिंह, राजन, जयप्रकाश यादव, मुकेश कुमार सिह, पवन कुमार दूबे, हरिश शर्मा, ओमप्रकाश केजरीवाल, डा0 एस0 पी0 गुप्ता, विकास कुमार पाण्डेय, राममनोहर यादव आदि लोग सामिल थे।